अनुसंधान प्रतिवेदन क्र.

शासकीय उपयोग हेतु

आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन

मार्गदर्शन : डॉ. टी. राधाकृष्णन आई.ए.एस

निर्देशन : एम. एल. पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ. राजेन्द्र सिंह

वर्ष–2014

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन

वर्ष–2014

मार्गदर्शन	:	**डॉ. टी. राधाकृष्णन** आई.ए.एस
निर्देशन	:	**एम. एल. पंसारी**
अध्ययन एवं प्रतिवेदन	:	**डॉ. राजेन्द्र सिंह**

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ
अध्याय	– 1	प्रस्तावना	1
अध्याय	– 2	आदिवासी बाजार हाट का स्वरूप	6
अध्याय	– 3	तोकापाल का बाजार हाट	10
अध्याय	– 4	बाजार का आर्थिक परिदृष्य	13
अध्याय	– 5	सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृष्य	28
अध्याय	– 6	धार्मिक परिदृष्य	31
अध्याय	– 7	आदिवासी हाट बाजार में परिवर्तन	32
अध्याय	– 8	निष्कर्ष, समस्याएँ एवं सुझाव	35

बांस के सामानों का विक्रय

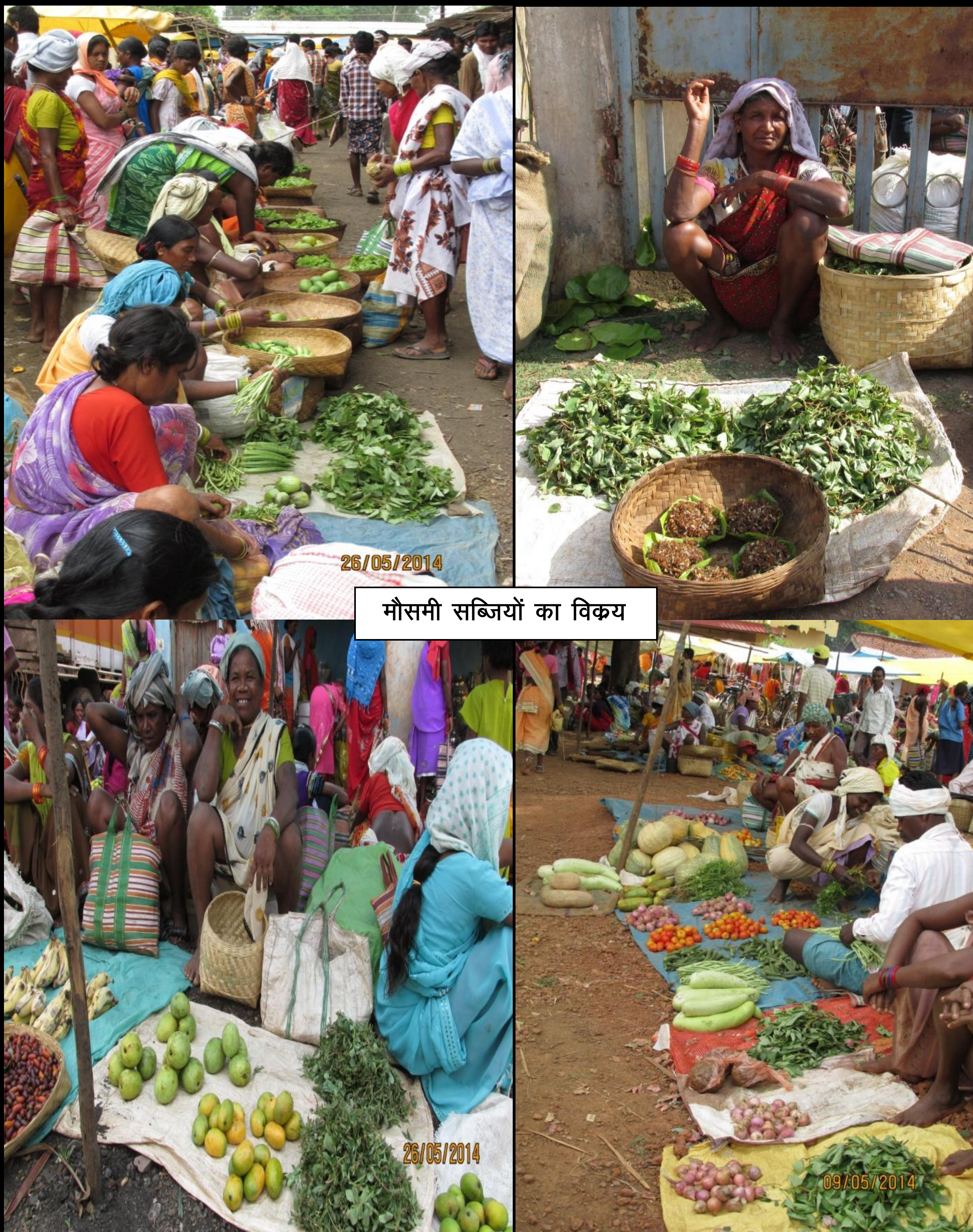

मौसमी सब्जियों का विक्रय

मादक द्रव्य तथा वस्तु का विक्रय

मनोरंजन एवं दांव–मुर्गा लड़ाई तथा खुड़खुड़ी

वन से प्राप्त वस्तुओं का विक्रय

धार्मिक कार्यों से संबंधित वस्तुओं, परिधानों का विक्रय

श्रंगार तथा मनिहारी सामानों का विक्रय

वस्त्र तथा बर्तन का विक्रय

लोहे के औजारों का विकय

हस्तनिर्मित प्लास्टिक रस्सियों का विकय

वनोत्पादों का विक्रय

प्रसंस्कृत उत्पादों का विक्रय

मिट्टी के सामानों का विक्रय

प्लास्टिक के सामानों तथा जूते–चप्पल का विक्रय

बाजार आवागमन के साधन

अध्याय–1

प्रस्तावना

आदिम समाज की पृथक सांस्कृतिक विशेषतायें तथा जीवन शैली होती है। आदिम समाज सदियों से राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक वन तथा नदी घाटियों या पृथक पर्यावरर्णिय परिवेश में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूर्व में आदिवासी समाज का बाहरी समाज से अल्पसंपर्क था। आदिम समाज तथा बाहरी समाज का आपस में संपर्क का मात्र दो ही कारण, पहला, बाहरी समाज के व्यक्तियों द्वारा वन तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के उद्देष्य से आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश तथा दूसरा, आदिवासी समाज के सदस्यों का उनके प्राकृतिक पर्यावरण में अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हेतु बाह्य समाजों पर निर्भरता, था। आदिवासी क्षेत्रों में अप्राप्त वस्तुओं से तात्पर्य नमक, वस्त्र, बर्तन, मिट्टी का तेल आदि है, जिसके आपूर्ति का मुख्य साधन आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाले 'बाजार' या 'हाट' हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आदिवासी क्षेत्रों के 'बाजार' या 'हाट' संपूर्णता में शहरी या बाहरी वस्तुओं का आदिवासी क्षेत्र में तथा आदिवासी क्षेत्र के वनोत्पाद, कंदमूल, कृषि उपजों आदि का षहरी क्षेत्र में विनिमय का केन्द्र है।

'बाजार' या 'हाट' सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार प्रत्येक जनजाति का एक निष्चित निवास क्षेत्र होता है, उसी प्रकार प्रत्येक 'बाजार' या 'हाट' का भी एक निष्चित प्रभाव क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत बसे हुए ग्रामों के निवासियों के आवष्यकता की पूर्ति करने के साथ–साथ यह क्षेत्र का सामुदायिक संपर्क केन्द्र है। 'बाजार' या 'हाट' के कारण अलग–अलग गांवों में निवास करने वाले आदिवासी परिवार अपने संबंधियों से सतत संपर्क में रहते हैं तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान व प्रसार करते हैं। इस प्रकार आदिवासी क्षेत्र के 'बाजार' या 'हाट' आदिम समाज के सदस्यों का मिलन स्थल होने के साथ–साथ सांस्कृतिक संपर्क तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का केन्द्र है।

'बाजार' या 'हाट' से तात्पर्य आदिवासी क्षेत्रों के प्रमुख ग्रामों या कस्बों में वार्षिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या अर्धसाप्ताहिक रूप से लगने वाले विविध वस्तुओं के क्रय–विक्रय हेतु संचालित दुकानों की श्रृंखला से है। इन 'बाजार' या 'हाट' में बाहरी दुकानदार विविध वस्तुओं के विक्रय हेतु नियमित तथा अस्थायी प्रकृति की दुकानों का संचालन करते हैं। आदिवासी 'बाजार' या 'हाट' में वस्तु विनिमय को प्राथमिकता दिया जाता है। सामान्यतः

'बाजार' या 'हाट' का स्वरूप आयताकार या दीर्घ वृत्तीय रूप में होता है। कुछ स्थानों पर यह मुख्य मार्ग के दोनों ओर लंबाई में होता है। बाजार प्रारंभ में गांव या कस्बे के किनारे स्थित होता हैं किंतु ग्राम या कस्बे का मुख्य आर्थिक केन्द्र होने के कारण कालांतर में 'बाजार' या 'हाट' के आसपास बसाहट होने के कारण ये ग्राम या कस्बे के मुख्य बसाहट के अंतर्गत आ जाता है।

पिछले दो दशकों से बस्तर संभाग के आदिवासी बाजार हाट पर नक्सली समस्या का गहन प्रभाव पड़ा है। आदिवासी बाजार हाट में नक्सलियों द्वारा लूट–पाट, हत्या, पुलिस जवानों के हथियारों की लूट, भय, वसूली, नक्सलियों द्वारा वनोपज तथा अन्य उत्पादों के क्रय–विक्रय की कीमत तय किये जाने के कारण बड़े व्यापारी बाजार हाट में व्यापार करना बंद कर चुके हैं या बाजारों में कम जाते हैं, जिससे बाजार हाट की आर्थिक क्रियायें व बाजार का स्वरूप प्रभावित हुआ है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र के कई बड़े बाजार अपनी ख्याति तथा स्वरूप खो चुके हैं। नक्सली समस्या, ग्रामों में सामानों की उपलब्धता, आधुनिकता, संजार साधनों की उपलब्धता जैसी चुनौतियों के बाद भी बस्तर संभाग के आदिवासी बाजार हाट अपना अस्तित्व तथा महत्व बनाये हुये हैं।

1.1. अध्ययन का उद्देश्य

'बस्तर के आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन' का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है–

1. आदिवासी क्षेत्रों के 'बाजार हाट' की स्थिति, क्रियाकलापों तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करना।
2. आदिवासी क्षेत्रों के 'बाजार हाट' के सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करना।
3. आदिवासी क्षेत्रों के 'बाजार हाट' में शोषण व समस्याओं का अध्ययन कर निराकरण हेतु उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

1.2 अध्ययन प्रविधि

'बस्तर के आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन' विषय पर बस्तर जिले के तोकापाल में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का अध्ययन किया गया। बस्तर जिले में आकार की दृष्टि से छोटे, मध्यम तथा बड़े अनेक साप्ताहिक बाजार आयोजित होते हैं। आदिवासी बाजार या हाट के मोनोग्राफिक अध्ययन हेतु दैव निदर्शन विधि से तोकापाल बाजार का चयन किया गया।

दैव निदर्शन विधि से बाजार में आने वाले विक्रेताओं तथा क्रेताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका, अनुसूची तथा छायांकन हेतु डिजिटल कैमरे का उपयोग किया गया। तोकापाल बाजार से संबंधित जानकारी जनपद पंचायत कार्यालय तथा प्रमुख व्यक्तियों से प्राप्त किया गया। द्वितीयक तथ्यों का संकलन शोध ग्रंथों, संदर्भ ग्रंथों तथा प्रतिवेदन से किया गया।

1.3 क्षेत्र परिचय

1.3.1 छत्तीसगढ़ राज्य

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 26 वें राज्य के रूप में एक नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधताओं, खनिज एवं वन सम्पदा से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को प्राचीनकाल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन काल में यह सेन्ट्रल प्रोविन्सेस (सी.पी.) का भाग था। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पष्चात् छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश में शामिल किया गया एवं नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएँ पूर्व में उड़ीसा राज्य, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व झारखण्ड तथा दक्षिण में आंध्रप्रदेश को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग कि.मी. है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दसवाँ बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से चार संभाग बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा 27 जिले, 146 तहसील एवं विकासखण्डों में बाँटा गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,55,40,196 है एवं लिंगानुपात 991 है। छत्तीसगढ़ राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सत्रहवाँ बड़ा राज्य है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है। छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत है, जिसमें 81.45 प्रतिशत पुरूष तथा 60.59 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर हैं।

1.3.2 बस्तर जिला

बस्तर जिला राष्ट्र के प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों में से एक है। यह प्राकृतिक संसाधनों, वन सम्पदा, पर्यटन स्थलों तथा जनजातियों के कारण विख्यात है। बस्तर जिला पूर्व बस्तर संभाग का मध्य क्षेत्र तथा संभाग के सात जिलों में से एक है। वर्तमान बस्तर संभाग में सात

जिले– काँकेर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर हैं। बस्तर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों मे पूर्व में उड़ीसा राज्य, दक्षिण में दंतेवाड़ा व सुकमा जिला, पश्चिम में नारायणपुर जिला तथा उत्तर दिशा में कोंडागांव जिला है। बस्तर जिले में से 24 जनवरी 2012 को पृथक कर कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया है इस कारण वर्तमान बस्तर जिले के 2011 की जनगणना संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। अविभाजित बस्तर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1411644 है। अविभाजित बस्तर जिले की जनसंख्या घनत्व 140 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, लिंगानुपात 1024 तथा साक्षरता दर 54.94 प्रतिशत है।

1.3.3 अध्ययन क्षेत्र–तोकापाल

प्रस्तुत अध्ययन बस्तर जिले के तोकापाल ग्राम में किया गया है। तोकापाल, तोकापाल तहसील तथा तोकापाल, दरभा तथा लोहांडीगुड़ा राजस्व अनुभाग का मुख्यालय है। तोकापाल, बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड का मुख्यालय है। तोकापाल विकासखंड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को किया गया था। तोकापाल तहसील तथा विकासखंड में कुल 34 पंचायत तथा 70 गांव आते हैं। विकासखंड मुख्यालय तोकापाल राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर जिला मुख्यालय जगदलपुर से पश्चिम दिशा में 20 कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है। तोकापाल ग्राम ब्राम्हणपारा, बाजार पारा, धनसाय पारा, माहरा पारा, पटेल पारा, सड़क पारा, ठोठापारा, स्कूल पारा, कोटवार पारा, गोंड पारा तथा बस्तीपारा में विभाजित है।

1.3.4 तोकापाल में उपलब्ध सुविधायें

तोकापाल राजस्व अनुभाग का मुख्यालय है, इस कारण यहॉ अनेक शासकीय कार्यालय हैं। जिसमें अनुभाग स्तर, तहसील स्तर, विकासखंड स्तर तथा पंचायत स्तर के कार्यालय तथा संबंधित सुविधायें हैं। जिनका विवरण निम्नांकित है–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय
2. तहसील कार्यालय
3. जनपद पंचायत कार्यालय
4. पशु चिकित्सालय
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय
7. जिला सहकारी मर्यादित बैंक

8. भारतीय स्टेट बैंक

9. कृषि उपज मंडी

10. विद्युत विभाग का कार्यालय

11. डाकघर

12. प्राथमिक विद्यालय

13. पूर्व माध्यमिक विद्यालय

14. शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय

15. शासकीय महाविद्यालय

अध्याय –2

आदिवासी बाजार हाट का स्वरूप

2.1.बाजार का स्वरूप

बस्तर संभाग विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में लगने वाले आदिवासी हाट या बाजार का विविध स्वरूप होता है। बाजार लगने के आधार पर बस्तर के आदिवासी बाजार हाट को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं–

2.1.1. साप्ताहिक बाजार– साप्ताहिक हाट या बाजार नियमित रूप से लगने वाले बाजार हैं। इन साप्ताहिक बाजारों में प्रति सप्ताह निश्चित दिवस को बाजार भरता है, जिसमें स्थानीय या आसपास के ग्रामों के व्यापारी नियमित रूप से अपनी दुकान लगाते हैं, इनके दुकानों के शेड स्थायी स्वरूप के होते हैं। ये व्यापारी सप्ताह में चार से पांच दिन क्षेत्र में लगने वाले अलग–अलग बाजारों में अपनी दुकान लगाते हैं। इस प्रकार की स्थायी स्वरूप की दुकानों में किराना सामानों की दुकान, वस्त्रों की दुकान, जूते–चप्पलों की दुकान, मनिहारी की दुकान, होटल, मछली–मुर्गे की दुकान, प्लास्टिक सामानों की दुकान, सोने–चांदी की दुकान, लघु वनोपज एवं उपज क्रय की दुकान आदि।

2.1.2. पशु बाजार– आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में मुर्गा–मुर्गी, गाय–बैल आदि पशु पक्षियों का विशेष स्थान है। इनकी पूर्ति पालतू पशुओं तथा पशु बाजार से होती है। आदिवासी क्षेत्रों में पशु बाजार भी साप्ताहिक रूप से लगते हैं। पशु बाजार में बैल तथा बकरा बाजार प्रमुख हैं, इन बाजारों में मुख्य रूप से बैल तथा बकरा क्रय–विक्रय किया जाता है। इसके अलावा अन्य पशु–पक्षियों जैसे–गाय, बकरी, मुर्गी, बतख आदि का क्रय–विक्रय किया जाता है। आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ व्यक्ति "कोचिया" इन पशुओं के क्रय विक्रय का व्यवसाय करते हैं। कुछ बड़े ग्रामों में साप्ताहिक हाट या बाजार के दिन को छोड़कर अन्य दिन पशु बाजार भरता है।

2.1.3. मुर्गा बाजार– आदिवासी क्षेत्रों के बाजार के साथ मनोरंजन हेतु मुर्गा लड़ाई बाजार होता है। मुर्गा बाजार में मुर्गा लड़ाई करवाया जाता है। मुर्गा बाजार में आदिवासी जनों के साथ–साथ आस पास के कस्बाई व शहरी क्षेत्र के व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु विशेष रूचि लेते

हैं। मुर्गा लड़ाई बांस, लकड़ी तथा तारों से बनाये गये गोल घेरे में होता है। गोल घेरे का आकार मुर्गा लड़ाई देखने आने वाले दर्शकों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है। मुर्गा लड़ाई में दो पक्ष समकक्ष मुर्गो का चयन कर, मुर्गे के पैरों में 'काती' (लोहे के छोटे चाकू) बांध कर गोल घेरा के मध्य लड़ाई हेतु छोड़ा जाता है, दोनों मुर्गे आपस में लड़ते हैं। इस लड़ाई में एक मुर्गा 'काती' से घायल होकर हार जाता है। जीते हुए मुर्गा के मालिक को हारा हुआ मुर्गा भी मिल जाता है। इस मुर्गा लड़ाई में मुर्गे के हार–जीत पर दांव या बाजी (रूपये) लगाया जाता है, जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को लगाये गये रकम का दुगुना मिलता है। आदिवासी जन अधिकांशतः रूपये जीतने के लालच में अपनी रकम हार जाते हैं।

2.1.4. जात्रा मेला बाजार (मंडई/मड़ई)– बस्तर क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में ग्राम देवी–देवता को स्थापित किया गया है। इन देवी–देवता के वार्षिक/द्वि वार्षिक/त्रि वार्षिक विशेष पूजा किया जाता है, जिसे स्थानीय रूप में 'जात्रा' या 'मंडई/मड़ई' कहा जाता है। यह बाजार दो दिनों से एक सप्ताह तक की अवधि तक चलने वाले होते हैं। इसमें ग्राम देवी–देवता की विशेष पूजा किया जाता है तथा मनौती अर्पित किया जाता है। परगना या आसपास के ग्रामों के देवी–देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। जात्रा पूजा में ग्राम देवी–देवता की विशेष पूजा, जूलूस, बलि तथा बाजार का आयोजन किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले वार्षिक/द्वि वार्षिक/त्रि वार्षिक 'जात्रा' या 'मंडई/मड़ई' आकर्षण का केन्द्र होते हैं जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। बस्तर क्षेत्र में नारायणपुर, कोंडागांव, रामाराम (सुकमा जिला), चिकटराज मेला (बीजापुर जिला) प्रसिद्ध वार्षिक मेले हैं।

2.2 बाजार का समय

आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाले बाजार या हाट की अवधि में भिन्नता पाया जाता है। बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग अर्थात सुकमा जिले के बाजार प्रातः काल लगते हैं क्योंकि सुकमा जिले में अधिक गर्मी पड़ती है इस कारण प्रातः काल से लगभग दोपहर तक बाजार लगते हैं। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में बाजारों की संख्या कम होने के कारण दूर–दूर के ग्रामीण एक दिन पूर्व बाजार के लिये आ जाते हैं, रात्रि बाजार स्थल में ही रूकते हैं तथा प्रातः बाजार से आवश्यक वस्तुओं को क्रय कर पैदल गांव वापस चले जाते हैं। सुकमा क्षेत्र के बाजार प्रातः काल 5.00 बजे से 12.00 बजे तक लगते हैं।

बस्तर संभाग के शेष भाग के बाजार दिन भर जारी रहते हैं। इन क्षेत्रों के बाजार सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक लगते हैं। जिसमें 12.00 बजे से 3.00 बजे तक अधिक भीड़ होता है।

2.3 बस्तर जिले में आयोजित प्रमुख बाजारों का विवरण

वर्तमान बस्तर जिले के सभी विकासखंडों या तहसील मुख्यालयों के साथ–साथ अनेक ग्रामों में साप्ताहिक बाजार आयोजित होते हैं। वर्तमान में बस्तर जिले में आयोजित प्रमुख साप्ताहिक बाजारों का विवरण तालिका क्रमांक–1.1 में प्रदर्शित है–

तालिका क्रमांक–1.1

बस्तर जिले में आयोजित बाजारों का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखंड	दिन
1.	बस्तर	बस्तर	गुरूवार
3.	सोनारपाल	बस्तर	शनिवार
4.	भानपुरी	बस्तर	सोमवार
5.	शीतलावंड	बस्तर	शुक्रवार
11.	जगदलपुर	जगदलपुर	रविवार
12.	नगरनार	जगदलपुर	शुक्रवार
13.	नानगुर	जगदलपुर	शुक्रवार
14.	माड़पाल	जगदलपुर	शुक्रवार
18.	बकावंड	बकावंड	सोमवार
19.	सरगीपाल	बकावंड	बुधवार
20.	करपावंड	बकावंड	शुक्रवार
21.	जैतगिरी	बकावंड	रविवार
22.	मूली	बकावंड	सोमवार
23.	बजावंड	बकावंड	सोमवार
26.	लोहांडीगुड़ा	लोहांडीगुड़ा	शुक्रवार

27.	उसरीबेड़ा	लोहांडीगुड़ा	बुधवार
28.	मारडूम	लोहांडीगुड़ा	शनिवार
33.	तोकापाल	तोकापाल	सोमवार
34.	पोटानार	तोकापाल	गुरूवार
35.	करंजी	तोकापाल	शनिवार
39.	दरभा	दरभा	बुधवार
40.	नेंगानार	दरभा	शनिवार
41.	कोलेंग	दरभा	शुक्रवार
42.	चिंगीतरई	दरभा	रविवार
45.	बास्तानार	बास्तानार	शनिवार
46.	कोड़ेनार	बास्तानार	गुरूवार

अध्याय – 3

तोकापाल का बाजार हाट

आदिवासी बाजार हाट, क्षेत्र के वासियों के आर्थिक आवश्यकता एवं दैनिक उपभोग के वस्तुओं की पूर्ति का प्रमुख केन्द्र है। पूर्व में आदिवासी बाजार हाट में वस्तु विनिमय की प्रधानता थी किंतु वर्तमान में मुद्रा विनिमय की प्रधानता है। आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन बस्तर जिले के तोकापाल ग्राम में किया गया है। तोकापाल ग्राम का साप्ताहिक बाजार प्रति सोमवार को आयोजित होता है। तोकापाल का बाजार तोकापाल विकासखंड का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार है। तोकापाल का बाजार हाट में आस पास के लगभग पचास ग्रामों के ग्रामीण अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्भर हैं।

3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आदिवासी क्षेत्र के बाजार ऐतिहासिक रूप से वस्तु विनिमय के केन्द्र के रूप में माना जा सकता है, इन्हे आधुनिक बाजारों का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। संभवतः पूरी दुनिया के प्रारंभिक व्यापारिक केन्द्र वस्तु विनिमय पर ही आधारित था, जो कालांतर में मुद्रा आधारित व्यापार में परिवर्तित हो गये। रियासत कालीन भारत के राजाओं ने अपने राज्य में व्यापार को प्रोत्साहित किया जिससे राजा तथा प्रजा को बाह्य क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुऍ प्राप्त हो सके तथा राज्य के वनोपज, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद का विक्रय या विनिमय कर मुद्रा या आवश्यक वस्तुऍ प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक काल में बस्तर का जनजातीय जीवन पूर्णतः प्रकृति आधारित वस्तुओं पर निर्भर था, धीरे–धीरे यह जनजातीय समाज वस्त्र तथा नमक के लिये बाहरी समुदायों से वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार करने लगा। बस्तर रियासत के राजाओं ने व्यापार के माध्यम से राज्य का आर्थिक विकास व प्रजा को जीवनोपयोगी वस्तुओं की सुलभ प्राप्ति हेतु आदिवासी बाजार हाट को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश कालीन बस्तर में अधिकांश तहसील मुख्यालय में रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार भरता था, जो वर्तमान में भी जारी है। तहसील मुख्यालय के बाजार के अलावा प्रत्येक तहसील के मुख्य ग्रामों में सप्ताह के अन्य दिवस में साप्ताहिक बाजार भरता था। इस प्रकार प्रत्येक तहसील में मुख्यालय तथा अन्य ग्रामों को मिलाकर लगभग पॉच–छह साप्ताहिक बाजार भरता था। वर्तमान में बस्तर संभाग

के ब्रिटिश कालीन अधिकांश तहसील जिला में तथा तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय में परिवर्तित हो चुके हैं। इन जिला मुख्यालयों में साप्ताहिक बाजार यथावत् जारी हैं किंतु इनके स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है।

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट के संबंध में लिखित इतिहास का अभाव है। संभवतः तोकापाल बाजार हाट का प्रारंभ अंग्रेजी शासन काल के दौरान हुआ होगा। 1910 के भूमकाल आंदोलन के दौरान बाजार के समीप के प्राथमिक शाला एवं मुख्य सड़क पर कोयर नाला के लकडी के पुल को विप्लवियों ने जला दिया था उस समय तोकापाल का यह आदिवासी बाजार हाट छोटा बाजार था जो धीरे–धीरे विस्तृत रूप लेते हुए वर्तमान स्वरूप में आया है।

3.2 प्रशासनिक पृष्ठभूमि

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट राज्य शासन द्वारा घोषित तोकापाल विकासखंड का प्रथम बाजार है। यह लगभग दो से तीन एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तोकापाल विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बारह बाजारों का संचालन हेतु बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क की नीलामी जनपद पंचायत, तोकापाल द्वारा किया जाता है। नीलामी के आधार पर बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क का ठेका उच्चत्तम बोलीदार को दिया जाता है। बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क का ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर बाजार में आने वाले विक्रेता, व्यवसायी, सायकल तथा वाहनों से शुल्क वसूली करता है।

जनपद पंचायत, तोकापाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक तोकापाल बाजार के लिये बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क हेतु नीलामी द्वारा प्राप्त राशि का विवरण तालिका क्रमांक–3.1 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका क्रमांक–3.1

तोकापाल बाजार हेतु बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क हेतु नीलामी का विवरण

(वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	बाजार शुल्क राशि (रूपये में)	सायकल स्टैण्ड शुल्क राशि (रूपये में)
1.	2010–11	45100	35100
2.	2011–12	45100	35100
3.	2012–13	95000	73000
4.	2013–14	95000	73000
5.	2014–15	55000	68000

बाजार शुल्क तथा सायकल स्टैण्ड शुल्क का ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार को वित्तीय वर्ष हेतु बाजार क्षेत्र से राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता है। जनपद पंचायत, तोकापाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु साप्ताहिक बाजार बैठक शुल्क के रूप में प्रति वर्ग मीटर 5 रूपये, छोटे व्यवसायी से 7 रूपये तथा बड़े व्यवसायी से 10 रूपये प्रति बाजार के दर से तय किया गया है। इसी प्रकार तोकापाल साप्ताहिक बाजार के सायकल स्टैंड हेतु प्रति सायकल 5 रूपये, मोटर सायकल 10 रूपये तथा जीप, 5 रूपये, ट्रक हेतु 20 रूपये निर्धारित किया गया है।

———————————

अध्याय– 4

बाजार का आर्थिक परिदृश्य

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट स्थल, तोकापाल ग्राम के उत्तरी सीमा पर कोयर नाला के किनारे लगभग तीन एकड़ के क्षेत्र में है। बाजार स्थल लगभग आयताकार है। आदिवासी क्षेत्र में लगने वाले बाजार हाट में दूर–दूर ग्रामों के निवासी अपने आवश्यकतानुसार वस्तुओं को क्रय–विक्रय करने आते हैं। समीप के ग्रामों के व्यक्ति नियमित रूप से बाजार हाट में आते हैं जबकि दूर ग्रामों के निवासी बाजार में विशिष्ट या कम कीमत में वस्तुएँ उपलब्ध होने के कारण विशेष अवसर पर बाजार में सम्मिलित होते हैं।

4.1 तोकापाल आदिवासी बाजार हाट का विस्तार क्षेत्र

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट इस क्षेत्र का प्रमुख बाजार है, इस बाजार में तोकापाल, दरभा, बास्तानार, लोहांडीगुड़ा तथा जगदलपुर तहसील के अनेक ग्रामों के वासी शामिल होते हैं। तालिका क्रमांक 4.1 में तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट के विस्तार क्षेत्र या तोकापाल बाजार में शामिल होने वाले विभिन्न ग्रामों का विवरण दिया गया है–

तालिका क्रमांक 4.1

तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट के विस्तार क्षेत्र का विवरण

क्र.	बाजार	ग्राम	दूरी (कि.मी.)
1.	तोकापाल	तोकापाल	0
2.		राजूर	5
3.		केषलूर	3
4.		चीतालूर	15
5.		नेंगानार	13
6.		लेंण्ड्रा	15
7.		एरंडवाल	5
8.		एर्राकोट	5
9.		दरभा	20

10.		पेदावाड़ा	18
11.		मांझीपाल	18
12.		मावलीपदर	19
13.		कामानार	15
14.		मारेंगा	10
15.		चिंगीतरई	25
16.		छिंदावाड़ा	20
17.		मंगलपुर	18
18.		भेजरीपदर	15
19.		करंजी	18
20.		मावलीभाटा	12
21.		बाघनपाल	10
22.		कुरेंगा	10
23.		खंडियापाल	15
24.		बिरिंगपाल	10
25.		सोसनपाल	10
26.		रायकोट	5
27.		आरापुर	8
28.		पाराकोट	10
29.		केषापुर	9
30.		चिंगपाल	10
31.		सिरिसगुड़ा	24
32.		पोटानार	18
33.		पामेला	8
34.		डिमरापाल	8
35.		किलेपाल	25
36.		कोड़ेनार	20

37.		गुड़ियापाल	15
38.		डिलमिली	15
39.		तिरथुम	18
40.		सेड़वा	12
41.		बामनीआमागुड़ा	25
42.		ककालगुर	25
43.		पलवा	8
44.		परपा	1
45.		मांदरकोंटा	19
46.		सिंगनपुर	22
47.		टाहकवाड़ा	20
48.		बिरिंगपाल	10
49.		पंडरीपानी	15
50.		देऊरगांव	18
		जगदलपुर	20

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तोकापाल के बाजार हाट का चारों दिशाओं में विस्तार क्षेत्र लगभग 25 कि.मी. है। इसमें पचास से भी अधिक ग्रामों के व्यक्ति वस्तुओं के क्रय–विक्रय हेतु आते हैं। तोकापाल का बाजार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है।

4.2 बाजार का क्षेत्र

सोमवार को आयोजित होने वाले तोकापाल बाजार को विभिन्न व्यवसाय क्षेत्र के आधार पर निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं–

4.2.1. मुख्य बाजार क्षेत्र – तोकापाल बाजार के मध्य क्षेत्र को मुख्य बाजार क्षेत्र माना जा सकता है। इस क्षेत्र में स्थायी तथा नियमित रूप से बाजार में शामिल होने वाले किराना, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, जूते–चप्पल, गल्ला, होटल, व्यवसायी अपने स्थायी शेड या दुकान में व्यवसाय करते हैं। इन व्यापारियों ने इस क्षेत्र के बाजारों में अपने स्थायी शेड या दुकान

बना लिया है जिसमें सप्ताह के लगभग पॉच से छह बाजार दिवसों में व्यवसाय करते हैं। तोकापाल बाजार में शासकीय योजनान्तर्गत शेड का निर्माण किया गया है। इन शेडों में स्थानीय व्यापारी व्यवसाय करते हैं।

4.2.2. बाजार का बाहरी क्षेत्र– तोकापाल के बाजार में मुख्य बाजार से संलग्न बाहरी क्षेत्र में बांस के सामान, मिट्टी के बर्तनों, वनोपज तथा कृषि उपज के केता गल्ला व्यापारी, सब्जी विक्रेता तथा अन्य स्थानीय व्यापारी व्यवसाय करते हैं।

4.2.3. मादक पदार्थ विक्रय क्षेत्र– तोकापाल के बाजार में मुख्य बाजार कुछ दूरी पर बाहरी क्षेत्र में पश्चिमी दिशा में मादक पदार्थों का विक्रय किया जाता है। जिसमें जिसमें सल्फी, छिंद रस, लांदा(चांवल की शराब), शराब आदि नशीले पेय का विक्रय किया जाता है।

4.2.4. मुर्गा लड़ाई क्षेत्र– तोकापाल बाजार में मुख्य बाजार कुछ दूरी पर बाहरी क्षेत्र में पश्चिमी दिशा में मुर्गा लड़ाई होता है। यह दोपहर से प्रारंभ होकर शाम तक जारी रहता है।

4.3 बाजार में व्यवसाय– सोमवार को आयोजित होने वाले तोकापाल बाजार को विभिन्न व्यवसाय के आधार पर निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं–

अ. स्थायी व्यवसाय– तोकापाल के बाजार में स्थायी व्यवसाय के आधार पर मुख्य बाजार क्षेत्र को निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं–

1.1. वस्त्र व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य पूर्व क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के स्थायी शेड में वस्त्र व्यवसायी रेडिमेड तथा बिना सिले हुए वस्त्र, दैनिक उपयोगी कपड़े आदि विक्रय करते हैं। ये वस्त्र व्यवसायी मौसमी वस्त्र तथा सामानों का विक्रय भी करते हैं। जैसे– वर्षाकाल में रेनकोट, प्लास्टिक, छाता आदि, शीतकाल में ऊनी वस्त्र, ओढ़ने–बिछाने के गर्म कपड़े आदि तथा ग्रीष्मकाल में सूती वस्त्र, टोपी आदि का विक्रय करते हैं। त्यौहारों, मेलों तथा शिक्षा सत्र के प्रारंभ में इन वस्त्र विकेताओं की दुकानों अधिक व्यवसाय होता है। वस्त्र व्यवसायी नियमित ग्राहकों को उधार तथा किस्तों में रकम चुकाने की सुविधा प्रदान

करते हैं। कुछ वस्त्र व्यवसायी उपयोग किये गये पुराने रेडिमेड वस्त्रों का विक्रय करते हैं, जिसे सस्ते होने के कारण ग्रामीण क्रय कर पहनते हैं।

1.2. आभूषण व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के स्थायी शेड में आभूषण व्यवसायी आभूषणों का विक्रय करते हैं। आभूषण व्यवसायी क्षेत्र की मांग तथा विक्रय के अनुसार सोना, चांदी, गिलट, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं तथा प्लास्टिक के गहने तथा आभूषणों का विक्रय करते हैं। आभूषण व्यवसायी नियमित ग्राहकों को उधार तथा किस्तों में रकम चुकाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तोकापाल बाजार हाट में आभूषणों का कम व्यवसाय होने के कारण आभूषणों के दुकान कम हैं।

1.3. बर्तन व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के स्थायी शेड में तथा कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में बर्तन विक्रय का व्यवसाय करते हैं। बर्तन दुकानों में स्टील, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, प्लास्टिक आदि के बर्तनों का विक्रय करते हैं। बर्तन व्यवसायी नियमित ग्राहकों को उधार तथा किस्तों में रकम चुकाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन बर्तन दुकानों में दैनिक उपयोगी वस्तुओं के साथ–साथ रसोई के आधुनिक इलेक्ट्रिक सामान भी विक्रय किया जाता है।

1.4. किराना सामान व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के स्थायी शेड, शासन निर्मित शेड तथा कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में किराना सामानों का विक्रय का व्यवसाय करते हैं। इन दुकानों में अनाज, दालें, तेल, नमक, मसाला, साबुन, वाशिंग पावडर, बिस्कुट, तंबाकू, गुड़ाखू आदि सामानों का विक्रय करते हैं। आदिवासी क्षेत्र के बाजार हाट में मिलने वाले अनेक किराना सामानों की गुणवत्ता निम्न होती है, ये नकली तथा मिलावटी होते हैं। व्यापारी इन्हें खुले में रखकर विक्रय करते हैं। जिससें क्रेताओं तथा उपभोगकर्ताओं के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण जन अपने आवश्यकतानुसार इन किराना सामानों का विक्रय करते हैं।

1.5. देवी–देवता से संबंधित सामग्री का व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के शासन निर्मित शेड में, कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड तथा कुछ ग्रामीण शिल्पकार खुले में बेल मेटल से निर्मित देवी–देवता की प्रतिमा, श्रृंगार सामग्री, पुजारी के वस्त्र–आभूषण तथा मन्नत पूर्णता के पश्चात देवी–देवताओं को अर्पित

किये जाने वाले सामानों के विक्रय का व्यवसाय करते हैं। बेल मेटल से निर्मित प्रतीक व प्रतिमा का निर्माण व विक्रय घड़वा जाति के स्त्रियां तथा देवी–देवता की श्रृंगार सामग्री, पुजारी के वस्त्र–आभूषण आदि का निर्माण तथा विक्रय बंजारा जाति के स्त्री–पुरूष करते हैं।

1.6. मनिहारी व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के मध्य क्षेत्र में मिट्टी एवं खपरैल के स्थायी शेड, शासन निर्मित शेड तथा कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में मनिहारी सामानों के विक्रय का व्यवसाय करते हैं। मनिहारी दुकानदार चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, दैनिक उपयोगी वस्तुएं आदि का विक्रय करते हैं। इन दुकानों में सामान विक्रय का कार्य स्त्री–पुरूष दोनों करते हैं।

1.7. प्लास्टिक के सामग्री का व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के बाहरी क्षेत्र में स्थायी दुकानों तथा कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी षेड में दैनिक उपयोगी प्लास्टिक सामानों के विक्रय का व्यवसाय करते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक के सामानों का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने के कारण इन दुकानों में अच्छा व्यवसाय होता है। इन दुकानों में प्लास्टिक बाल्टी, मग, टोकरी, रस्सी, तिरपाल तथा अनेक दैनिक उपयोगी वस्तुएॅं मिलती हैं।

1.8. होटल तथा खाने पीने के सामग्री का व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के बाहरी क्षेत्र में स्थायी दुकानों तथा कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में होटल तथा खाने पीने की सामग्री तैयार कर विक्रय करते हैं। इन छोटे–छोटे होटलों में चाय–नाश्ता, मिठाई आदि मिलता है। दूर ग्रामों से आये जन इन होटलों में चाय–नाश्ता करते हैं तथा अपने परिजनों के लिये भी समोसा, बड़ा, पकोड़ा, मिठाई आदि खरीद कर ले जाते हैं।

1.9. गल्ला व्यापार क्रय विक्रय का व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के बाहरी क्षेत्र में स्थायी दुकानों, कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में तथा कुछ व्यवसायी खुले में तराजू लगाकर गल्ला व्यापार करते हैं। ये गल्ला व्यापारी सीजन के अनुरूप वनोपज तथा फसल जैसे– महुआ, अमचूर, साल बीज, चार बीज, आम की गुठलियां, इमली, इमली बीज, कोसा, धान, मक्का, सरसों आदि क्रय करते हैं। पूर्व में गल्ला व्यवसाय वस्तु विनिमय पर आधारित था किंतु वर्तमान में यह मुद्रा विनिमय व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है। पूर्व में गल्ला व्यवसाय आदिवासियों के आर्थिक शोषण का प्रमुख माध्यम था। पूर्व में गल्ला

व्यवसायी तराजू–बाट का उपयोग करते थे किंतु वर्तमान में कुछ गल्ला व्यवसायी इलेक्ट्रानिक भार मापक यंत्र का उपयोग करने लगे हैं।

1.10. जुते–चप्पल का व्यवसाय– तोकापाल बाजार हाट के बाहरी क्षेत्र में स्थायी दुकानों, कुछ व्यवसायी प्लास्टिक के अस्थायी शेड में जूते–चप्पल विक्रय का व्यवसाय करते हैं। इन दुकानों में प्लास्टिक के जूते–चप्पल, रेनकोट, मोजा आदि विक्रय करते हैं। पूर्व में आदिवासी क्षेत्र के निवासी जूते–चप्पल का कम उपयोग करते थे किंतु वर्तमान में शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक विकास आदि के कारण जूते–चप्पलों का उपयोग करने लगे हैं।

ब. अस्थायी व्यवसाय– तोकापाल के बाजार के मुख्य बाजार क्षेत्र में किये जाने वाले अस्थायी व्यवसाय को निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं–

1.1 मौसमी सब्जियों का व्यवसाय– तोकापाल के बाजार के मुख्य बाजार क्षेत्र में सब्जी विक्रेता मौसमी सब्जियों का विक्रय करते हैं। ये विक्रेता इन सब्जियों को जगदलपुर के बाजार, क्षेत्रीय उत्पादकों से क्रय कर लाते हैं, इनके द्वारा आलू, प्याज, अदरक, लहसून, टमाटर, भिंडी, लौकी, गोभी आदि सभी सब्जियों का विक्रय किया जाता है। कुछ विक्रेता स्थानीय आदिवासी होते हैं, जो घर के समीप बाड़ियों या खेतों में उत्पादित मौसमी फल–सब्जियों का विक्रय करते हैं।

1.2 खाद्य वनोत्पाद का विक्रय– तोकापाल के बाजार के मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थानीय आदिवासी स्त्री–पुरूष द्वारा पूरे वर्ष वनों में होने वाले खाद्य वनोत्पाद का विक्रय करते हैं। इन खाद्य वनोत्पादों में जून से अगस्त–सितंबर तक बास्ता, विभिन्न प्रकार की भाजियां तथा कंद–मूल, अक्टूबर–फरवरी तक विभिन्न प्रकार के कंद–मूल तथा बाड़ी में उत्पन्न सब्जियॉ एवं फरवरी से मई तक वनों में होने वाले आम, छिंद, तेंदू, चार, जामुन आदि का विक्रय करते हैं।

1.3 दैनिक उपयोगी वनोत्पाद का विक्रय– तोकापाल बाजार हाट के मुख्य क्षेत्र में शासकीय शेड, अस्थायी शेड तथा खुले स्थान में क्षेत्र के स्त्री–पुरूषों द्वारा वन में उत्पन्न होने वाले अनेक दैनिक उपयोगी वनोत्पाद का विक्रय किया जाता है। जिसमें साल, सियाड़ी के पत्ते, सियाड़ी की छाल, साल तथा करंज के दातौन, विभिन्न प्रकार के झाडू, धूप, गोंद, तिखूर आदि का विक्रय करते हैं। इन वस्तुओं का क्रय ग्रामीण तथा शहरी क्रेताओं द्वारा क्रय किया जाता है।

4.3. दस्तकारी के सामानों का विक्रय– तोकापाल बाजार हाट के मुख्य क्षेत्र के किनारे खुले स्थान में क्षेत्र के स्त्री–पुरूषों द्वारा दस्तकारी के सामानों का विक्रय किया जाता है। जिसमें बांस के सामान, लोहे के सामान, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का सामान शामिल है।

4.4. व्यवसाय का संख्यात्मक आधार पर विवरण

तोकापाल बाजार के मध्य क्षेत्र में उपरोक्त व्यवसाय का संख्यात्मक आधार पर विवरण निम्नांकित है–

4.4.1. **नियमित व्यवसाय का विवरण**

तोकापाल बाजार के मुख्य क्षेत्र के नियमित व्यवसाय का विवरण तालिका क्रमांक–4.2 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक 4.2

तोकापाल बाजार में नियमित व्यवसाय का विवरण

क्र.	व्यवसाय	दुकान	
		संख्या	प्रतिशत
1.	वस्त्र विक्रय	15	20.83
2.	आभूषण विक्रय	3	4.17
3.	बर्तन विक्रय	9	12.5
4.	किराना सामान विक्रय	13	18.06
5.	जुते–चप्पल विक्रय	8	11.11
6.	गल्ला व्यापार क्रय विक्रय	5	6.94
7.	होटल तथा खाने पीने के सामग्री विक्रय	3	4.17
8.	मनिहारी विक्रय	8	11.11
9.	देवी–देवता से संबंधित सामग्री विक्रय	1	1.39
10.	प्लास्टिक के सामग्री विक्रय	7	9.72
	योग	72	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित तोकापाल बाजार में सर्वाधिक 20.83 प्रतिशत वस्त्र विक्रय व्यवसायी तथा न्यूनतम 1.39 प्रतिषत देवी–देवता से संबंधित सामग्री विक्रय करने वाले व्यवसायी हैं।

4.4.2. आर्थिक कार्यों से संबंधित व्यवसाय– तोकापाल बाजार में समीपस्थ ग्रामों के हजारों ग्रामवासी आते हैं, वे बाजार में उपभोग के साथ–साथ आर्थिक क्रियाओं से संबंधित औजार क्रय करते हैं। तोकापाल बाजार में आर्थिक कार्यों से संबंधित व्यवसाय का विवरण तालिका क्रमांक–4.3 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक 4.3

तोकापाल बाजार में आर्थिक कार्यों से संबंधित व्यवसाय का विवरण

क्र.	व्यवसाय	दुकान	
		संख्या	प्रतिशत
1.	लौह औजारों का विक्रय	4	28.57
2.	लकड़ी के सामानों का विक्रय	2	14.28
3.	मछली पकड़ने के सामानों का विक्रय	3	21.43
4.	पशुपालन के सामानों का विक्रय(रस्सी)	2	14.28
5.	कृषि तथा सब्जी बीज का विक्रय	3	21.43
	योग	14	99.99

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित तोकापाल बाजार में सर्वाधिक 28.57 प्रतिशत लौह औजारों (शिकार तथा कृषि से संबंधित) का विक्रय तथा न्यूनतम 14.28–14.28 प्रतिशत लकड़ी के सामानों (हल, कुल्हाड़ी तथा फावड़ा का डंडा) का तथा पशुपालन (रस्सी) के सामानों का विक्रय से संबंधित सामग्री विक्रय करने वाले व्यवसायी हैं।

4.4.3. दस्तकारी, कलाकृति तथा धार्मिक वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय– तोकापाल के समीप के एर्राकोट ग्राम में घड़वा जाति के लोगों द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले तथा कलात्मक बेलमेटल की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार बंजारा जाति द्वारा बनाये जाने वाले देवी–देवता के वस्त्र, कौड़ी के सामान तथा अन्य सामग्रियों की अच्छी मांग होती है। तोकापाल के समीप के ग्रामों में धुरवा जनजाति का निवास क्षेत्र है, धुरवा जनजाति के सदस्य बांस के सामानों को विक्रय हेतु लाते हैं। इसी प्रकार कुम्हार जाति के सदस्य मिट्टी के सामानों का विक्रय हेतु लाते हैं। चंडार जाति के सदस्य परंपरागत वस्त्रों का निर्माण तथा विक्रय करते हैं। तोकापाल बाजार में दस्तकारी, कलाकृति तथा धार्मिक वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय का विवरण तालिका क्रमांक–4.4 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका कमांक 4.4

तोकापाल बाजार में दस्तकारी, कलाकृति तथा धार्मिक वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय का विवरण

क.	व्यवसाय	दुकान	
		संख्या	प्रतिशत
1.	बेल मेटल के सामानों का विकय	6	16.22
2.	धार्मिक वस्त्र व सामानों का विकय	9	24.32
3.	मिट्टी के सामानों का विकय	7	18.92
4.	बांस के सामानों का विकय	12	32.43
5.	परंपरागत वस्त्रों का विकय	3	8.11
	योग	37	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तोकापाल बाजार में सर्वाधिक 32.43 प्रतिशत बांस के सामानों का तथा न्यूनतम 8.11 प्रतिशत परंपरागत वस्त्रों का विकय करने वाले व्यवसायी हैं।

4.4.4. मांसाहार से संबंधित व्यवसाय– तोकापाल के बाजार में मछली, बतख, मुर्गा, मटन, मांसाहार से संबंधित व्यवसाय किया जाता है। बाजार में देशी तथा फार्म के मुर्गे, देशी तथा फार्म के बतख, स्थानीय नदी–नालों–तालाबों की मछलियॉ, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश से आयातित ताजी तथा सुखी मछलियॉ, मटन आदि का विकय किया जाता है। बाजार के समीप लगने वाले मुर्गा तथा मादक पदार्थों के बाजार में शराब, छिंद तथा सल्फी रस के साथ खाने वाले "चाखना" के रूप में पका हुआ मांस विकय किया जाता है। तोकापाल बाजार में मांसाहार से संबंधित व्यवसाय का विवरण तालिका कमांक–4.5 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका कमांक 4.5

बाजार में मांसाहार से संबंधित व्यवसाय का विवरण

क.	व्यवसाय	दुकान	
		संख्या	प्रतिशत
1.	मुर्गा का विक्रय	5	21.74
2.	बतख का विक्रय	2	8.70
3.	ताजी मछलियों का विक्रय	3	13.04
4.	सूखी मछलियों का विक्रय	10	43.48
5.	पषुओं के मांस का विक्रय	3	13.04
	योग	23	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तोकापाल बाजार में सर्वाधिक 43.48 प्रतिशत सूखी मछलियों का तथा न्यूनतम 8.70 प्रतिशत बतख विक्रय का व्यवसाय किया जाता है।

बाजार में आने वाले व्यक्ति मुर्गा तथा बतख को क्रय कर अपने घरों में ले जाकर काटते हैं। त्यौहार तथा सामाजिक आयोजनों के दौरान बाजारों से मुर्गा, बतख तथा मांस का अधिक मात्रा में क्रय किया जाता है। आजकल ग्रामवासी देशी मुर्गे की अधिक मांग व अधिक मुल्य के कारण अपने घरों में पालने वाले देशी मुर्गे को अधिक कीमत में बाजार में बेच देते हैं तथा अपने आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय करते हैं।

4.4.5. नशा तथा मादक सामग्रियों से संबंधित व्यवसाय– आदिवासी क्षेत्र के बाजार आर्थिक कारकों के साथ–साथ मनोरंजन एवं नशा तथा मादक सामग्रियों के प्राप्ति के केन्द्र के रूप में विकसित हुए हैं। प्रत्येक बाजार के एक भाग में मादक पदार्थों के विक्रय के लिये स्थान होता है, जिसमें सल्फी, छिंद रस, लांदा(चांवल की शराब), शराब आदि नशीले पेय का विक्रय किया जाता है। अधिकांश बाजारों में लांदा(चांवल की शराब), शराब आदि नशीले पेय के विक्रय का कार्य आदिवासी तथा सुंडी, कलार, माहरा आदि जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आदिवासी बाजारों में तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, बीड़ी आदि का विक्रय किया जाता है। तोकापाल बाजार में नशा तथा मादक सामग्रियों से संबंधित व्यवसाय का विवरण तालिका क्रमांक–4.6 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक 4.6

नषा तथा मादक सामग्रियों से संबंधित व्यवसाय का विवरण

क्र.	व्यवसाय	दुकान	
		संख्या	प्रतिशत
1.	सल्फी रस का विक्रय	4	10.00
2.	छिंद रस का विक्रय	7	15.00
3.	लांदा(चांवल की षराब) का विक्रय	12	30.00
4.	शराब का विक्रय	15	40.00
5.	तंबाकू का विक्रय	2	5.00
	योग	40	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तोकापाल बाजार में सर्वाधिक 40.00 प्रतिशत शराब विक्रय का तथा न्यूनतम 5.00 प्रतिशत तंबाकू का विक्रय व्यवसाय किया जाता है।

4.4.**6. वनोत्पाद तथा वन से संबंधित सामग्रियों का व्यवसाय–** आदिवासी क्षेत्र के बाजारों में बड़ी मात्रा में वनोत्पाद तथा वन से संबंधित सामग्रियों को आदिवासियों द्वारा विक्रय हेतु लाया जाता है। आदिवासी जनों द्वारा वन से बाजार में विक्रय हेतु लाये जाने वाले वस्तुओं का विवरण तालिका क्रमांक–4.7 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक 4.7

वनोत्पाद तथा वन से संबंधित सामग्रियों के व्यवसाय का विवरण

क्र.	प्रकार	नाम	उपयोग
1.	कंद–मूल	तरगरिया कंद	खाद्य
		सरोंदा कंद	खाद्य
		केवू कंद	खाद्य
		आलू कंद	खाद्य
		तिखूर	पेय
2.	पौधा	चिरायता (भूईनीम)	औषधीय
		सतावरी	औषधीय
3.	तना	बास्ता (करील)	खाद्य
		जलाऊ लकड़ी	आग जलाने
4.	पत्तियां	महुआ	दोना–पत्तल हेतु
		मोहलाईन	दोना–पत्तल हेतु
		साल	दोना–पत्तल हेतु
5.	शाखा (दातौन)	करंज	दांत साफ करने हेतु
		साल	दांत साफ करने हेतु

		जामुन	दांत साफ करने हेतु
		साल, बीजा व अन्य	औजारों के हत्था हेतु
6.	भाजी	चरोटा	सब्जी हेतु
		कोलियारी	सब्जी हेतु
		आतुर	सब्जी हेतु
		फूल भाजी	सब्जी हेतु
		कांटा भाजी	सब्जी हेतु
		कांदा भाजी	सब्जी हेतु
7.	मशरूम	बोड़ा	सब्जी हेतु
		फूटू	सब्जी हेतु
8.	फूल	महुआ	शराब तथा खाद्य
		ईमली	खाद्य
		पलाश	रंग
9.	फल	ईमली	खाद्य
		आम	खाद्य
		जामुन	खाद्य
		तेंदू	खाद्य
		चार	खाद्य
		छिंद	खाद्य
10.	बीज	साल	विक्रय
		टोरा	विक्रय
		चार	विक्रय
		ईमली	विक्रय
		चरोटा	विक्रय
		काजू	विक्रय
11.	गुठली	आम	विक्रय
		चार (चिरौंजी)	विक्रय
		जामुन	विक्रय
12.	वनोत्पाद	कोसा	विक्रय
		धूप	विक्रय
13.	झाडू	खरला	सफाई हेतु
		बाड़न	सफाई हेतु
		छिंद	सफाई हेतु
		कांटा	सफाई हेतु
		फूलबाहरी	सफाई हेतु
14.	जीव–जंतु	लाल चीटी (चापड़ा)	चटनी
		तोता	पालतू पक्षी
		बटेर	खाद्य
		शहद	खाद्य

4.4.7. स्वयं उत्पादित अनाज तथा सब्जियों का व्यवसाय– आदिवासी क्षेत्र के बाजारों में बड़ी मात्रा में घर के समीप बाड़ियों, मरहान तथा खेतों में उत्पादित अनाज, दलहन, सब्जियों को आवश्यकतानुसार विक्रय कर अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। आदिवासी जन स्वयं उत्पादित अनाज तथा सब्जियों को बाजार में विक्रय हेतु लाते हैं।

4.5 आदिवासी बाजार हाट में क्रेता–विक्रेता

4.5.1. आदिवासी क्रेता–विक्रेता

तोकापाल ग्राम के दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 5–8 किमीं की दूरी में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा उद्यान के समीप का वन क्षेत्र स्थित है, इन वन क्षेत्रों के गांवों में निवास करने वाले जनजातीय परिवार बांस की टोकरी, चटाई, ढोलगी, कड़गी, विवाह की रस्मों के लिये बांस के बर्तन, सुपा, कंद मूल, विभिन्न प्रकार के झाड़ू, धूप, तिखुर, गुड़, जंगली भाजियां, जंगली फल–फूल आदि विक्रय हेतु लाते हैं। आदिवासी क्रेता–विक्रेता सामानों के विक्रय पश्चात दैनिक उपयोगी वस्तुओं का क्रय करते हैं। पूर्व में आदिवासी विक्रेता तथा क्रेता के मध्य वस्तु विनिमय प्रचलित था किंतु वर्तमान में मुद्रा विनिमय की प्रधानता है। तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में जनजाति तथा विक्रय किये जाने वाले सामानों का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी क्रमांक–4.8

जनजातीय सदस्यों द्वारा विक्रय किये जाने वाले सामानों का विवरण

क्र.	जनजाति	विक्रय किये जाने वाले सामानों का विवरण
1.	परजा, धुरवा	बांस की टोकरी, चटाई, ढोलगी, कड़गी, विवाह के लिये बांस के बर्तन, सुपा, झाडू. बास्ता (करील), चापड़ा (लाल चींटी)
2.	हल्बा	चिवड़ा, सब्जियां
3.	भतरा	सब्जियां, गुड़
4.	गोंड, दंडामी माड़िया, हल्बा, भतरा, मुरिया,	कंद मूल, महुआ, विभिन्न प्रकार के झाड़ू, धूप, तिखुर, गुड़, जंगली भाजियां, जंगली फल–फूल, बास्ता (करील), चापड़ा (लाल चींटी) आदि

4.5.2. गैर आदिवासी केता–विकेता

आदिवासी बाजार हाट में कलार, तेली, सुंडी, माहरा, पनिका, लोहार, चंडार, कुम्हार, मरार, धोबी, धाकड़, नाई, नमोशुद्र आदि जाति के व्यक्ति बिचौलिये का कार्य तथा शराब, सल्फी, छिंद रस, मिट्टी के बर्तन, मछली, वस्त्र, किराना सामान, मनिहारी सामान, गल्ला व्यापार आदि वस्तुओं का विकय करते हैं। तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में गैर आदिवासी व्यक्तियों द्वारा विकय किये जाने वाले सामानों का विवरण सारणी कमांक 5.2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी कमांक–4.9

गैर आदिवासी सदस्यों द्वारा विकय किये जाने वाले सामानों का विवरण

क.	जनजाति	विकय किये जाने वाले सामानों या कार्यों का विवरण
1.	कुम्हार	मिट्टी के बर्तन.
2.	लोहार	लोहे के औजार.
3.	नाई	बाल काटना
4.	माहरा	प्लास्टिक रस्सियों का विकय
5.	सुंडी	शराब विकय कार्य.
6.	मरार	सब्जी विकय कार्य.
7.	नमोशुद्र	मछली विकय कार्य.
8.	रावत	लकड़ी तथा छिंदरस

अध्याय–5

सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृश्य

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से बहुपक्षीय है। इस बाजार हाट में सम्मिलित व्यक्तियों को निवास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

5.1. कस्बाई तथा नगरीय क्षेत्रों के निवासी– तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में नगरीय या शहरी क्षेत्रों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त व्यक्ति मुख्यतः जगदलपुर शहर के होते है, इसके साथ–साथ तोकापाल, दरभा, कोड़ेनार, किलेपाल, पोटानार जैसे कस्बाई क्षेत्र के निवासी होते है। तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में इनकी उपस्थिति विक्रेता या क्रेता, पर्यटक तथा घुमक्कड़ के रूप होता है। विक्रेता के रूप में जगदलपुर शहर तथा तोकापाल के कस्बाई क्षेत्र के व्यापारी व्यवसाय के लिये क्षेत्र के प्रमुख साप्ताहिक बाजारों में व्यापार करते हैं। इसके अंतर्गत किराना दुकान, वस्त्र की दुकान, गल्ला दुकान, मनिहारी दुकान, आभूषण दुकान, जूते–चप्पल की दुकान, होटल, बर्तन दुकान, मछली दुकान आदि के व्यवसायी शामिल हैं।

तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में शहरी तथा कस्बाई क्षेत्र के निवासी क्रेता, पर्यटक तथा घुमक्कड़ के रूप में होते है। इस बाजार में तोकापाल के निवासी व जगदलपुर शहर तथा अन्य कस्बाई क्षेत्र के तोकापाल क्षेत्र में पदस्थ शिक्षक, पंचायत कर्मी, बैंक कर्मी, विभिन्न कार्यालयों के कर्मी, शासकीय सेवक क्रेता के रूप में शामिल होते है। तोकापाल क्षेत्र के केशर प्लांट, मिनी स्टील प्लांट, निर्माण कार्य में कार्यरत शहरी तथा कस्बाई क्षेत्र के युवा तोकापाल बाजार में सामान क्रय करने के साथ–साथ मुर्गा लड़ाई देखने, मादक पदार्थों का सेवन तथा मनोरंजन हेतु बाजार में आते हैं। बस्तर जिले के पर्यटन स्थल पर अक्टूबर से मार्च माह के मध्य बड़ी संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक आते हैं। इनमें से कुछ पर्यटक इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान तोकापाल के आदिवासी बाजार में भ्रमण तथा अवलोकन हेतु जाते हैं।

5.2. ग्रामीण क्षेत्रों के गैर–आदिवासी निवासी– तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में तोकापाल के चारों ओर 20–25 किमी. दूरी तक बसे ग्रामों के गैर आदिवासी निवासी

क्रेता–विक्रेता के रूप में शामिल होते हैं। इनमें ब्राम्हण, क्षत्रिय, रावत, कलार, तेली, सुंडी, माहरा, पनिका, लोहार, कुम्हार, मरार, धोबी, धाकड़, नाई, नमोशुद्र आदि जाति के व्यक्ति होते हैं।

5.3. ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी निवासी– तोकापाल के आदिवासी बाजार हाट में तोकापाल के चारों ओर 20–25 किमी. दूरी तक बसे ग्रामों के आदिवासी निवासी क्रेता–विक्रेता के रूप में शामिल होते हैं। बाजार हाट में तोकापाल तथा आस पास क्षेत्र में परजा, धुरवा, मुरिया, भतरा, हल्बा, गोंड, दंडामी माड़िया, गदबा आदि जनजाति के स्त्री–पुरूष सामानों के क्रय–विक्रय के लिये आते हैं।

5.4. आदिवासी बाजार हाट का सामाजिक–सांस्कृतिक महत्व– आदिवासी बाजार हाट जनजातीय संस्कृति के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक संपर्क का केन्द्र है। यह जनजातीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। प्रत्येक जनजातीय सदस्य के जीवन में बाजार से जुड़े हुए अनेक अनुभव होते हैं। आदिवासी बाजार हाट का सामाजिक–सांस्कृतिक महत्व निम्नांकित है–

1. जनजातीय सदस्य बाजार के माध्यम से अपने संबंधियों से जुड़े होते हैं। बाजार में उनकी विभिन्न गांवों में रहने वाले संबंधियों से भेंट होती है, जिसमें वे एक–दूसरे का सुख–दुख जानते हैं तथा विभिन्न घटनाओं की सूचना, कार्यक्रम हेतु निमंत्रण भी देते हैं।

2. जनजातीय बाजार विवाह संबंध के लिये महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होते हैं क्योंकि बाजार में ही वर वधू एक दूसरे को देखते हैं। पूर्व में हरण विवाह के लिये बाजारों से ही कन्या का अपहरण किया जाता था।

3. जनजातीय बाजार सामाजिक–सांस्कृतिक संपर्क का सबसे प्रमुख माध्यम है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का संपर्क होता है। जिससे सामाजिक परिवर्तन को गति प्राप्त होती है।

4. जनजातीय बाजार सामाजिक गतिषीलता तथा जागरूकता की वृद्धि करने में सहायक होते हैं।

5. जनजातीय बाजार सामाजिक एकता, मेल जोल की वृद्धि करने में सहायक होते हैं।

6. जनजातीय बाजार जातिगत व्यवसाय को नियमित रखने में मददगार सिद्ध होते हैं।

7. जनजातीय बाजार जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते है।

8. जनजातीय बाजार विभिन्न जाति–जनजाति के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। जातिगत बंधन तथा दूरियों को मिटाने में सहायक होते हैं।

9. जनजातीय बाजार में होने वाले वार्षिक/द्वि वार्षिक/त्रि वार्षिक मेले धार्मिक आयोजन के साथ–साथ आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योकि मेले में क्षेत्रीय देवी–देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, जिससे सामूहिकता तथा क्षेत्रीय एकता को बल मिलता है। इन मेलों में दूर–दूर के व्यापारी व्यवसाय करने आते हैं जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक लाभ व रोजगार प्राप्त होता है।

अध्याय – 6

धार्मिक परिदृश्य

बस्तर क्षेत्र के आदिवासी बाजार हाट स्थानीय देवी–देवता को स्थापित किया जाता है, संभवतः अनेक गांव में देवी–देवता के मंदिर के समीप मैदान में बाजार को प्रारंभ किया गया होगा जो कालांतर में विस्तृत रूप लेते गये। इन मंदिरों में किये जाने वाले वार्षिक/द्वि वार्षिक/त्रि वार्षिक जात्रा को बाजार के साथ मिला दिया गया एवं ग्राम तथा क्षेत्रीय स्तर पर वृहत धार्मिक आयोजन या मेला का स्वरूप देते हुए परंपरा का रूप दे दिया गया होगा।

तोकापाल का आदिवासी बाजार हाट स्थल पर बासन बुंदीन देवी का मंदिर है। इसके सामने पूर्व दिशा में फिरंता देवी का मंदिर है तथा फिरंता देवी के मंदिर के पूर्व दिशा में कोयर नाला के किनारे बावड़ी देवी का मंदिर है। तोकापाल के बाजार हाट स्थल पर प्रतिवर्ष अप्रैल–मई में वार्षिक जात्रा मेला का आयोजन होता है किंतु देवी के आधार पर एक वर्ष बासन बुंदीन देवी व फिरंता देवी का जात्रा मेला तथा दूसरे वर्ष बावड़ी देवी का जात्रा मेला आयोजित किया जाता है। इस प्रकार देवी जात्रा मेला का यह आयोजन क्रमागत रूप में निरंतर आयोजित किया जाता है। तोकापाल के बाजार हाट के देवी जात्रा में 40–45 गांवों के देवी–देवता आते हैं। यह देवी जात्रा रविवार से बुधवार तक चार दिनों का होता है। प्रथम दिन रविवार को दूसरे गांवों के देवी–देवता का आगमन होता है, द्वितीय दिन सोमवार को देवी–देवता का जूलूस होता है, तृतीय दिन मंगलवार को जात्रा तथा चतुर्थ दिन बुधवार को देवी–देवता की विदाई तथा देवी जात्रा पूर्ण होता है।

अध्याय–7
आदिवासी हाट बाजार में परिवर्तन

आदिवासी बाजार हाट के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का कारक बाह्य संपर्क, आधुनिकता, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास आदि है। आदिवासी बाजार हाट के स्वरूप में परिवर्तन निम्नांकित हैं–

1. बाजार के स्वरूप में परिवर्तन– आदिवासी बाजार हाट के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में आदिवासी बाजार हाट छोटे स्वरूप का होता था। बाजार में विक्रय हेतु आने वाले खुले स्थान पर तथा बड़े दुकानदार अस्थायी शेड के नीचे व्यापार करते थे किंतु वर्तमान में नियमित रूप से बाजार में व्यापार हेतु आने वाले दुकानदार स्वयं का स्थायी षेड बना लिये हैं। इसी प्रकार ग्रामीण विक्रेताओं हेतु शासन की योजनान्तर्गत स्थायी शेड का निर्माण किया गया है। जिससे बाजार के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।

2. आवागमन के साधनों का विकास तथा सहभागिता की आवृत्ति में वृद्धि – पूर्व में आवागमन के साधनों के अभाव में बाजार में लोगों की कम भागीदारी होती थी क्योकि दूरस्थ गांवों के निवासी अत्यंत आवश्यकता पर पैदल ही बाजार आते थे तथा विनिमय किये जाने वाले कंद मूल या वनोपज कांवड़ या टोकनी में सिर पर रखकर लाते थे किंतु वर्तमान में सड़क मार्ग के विकास तथा आवागमन के साधनों के साधनों की संख्या में विकास होने के कारण दूरस्थ ग्रामों के निवासियों की बाजार जाने की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

3. बाजार हाट में आगंतुकों में परिवर्तन– पूर्व में आदिवासी बाजार हाट में स्थानीय तथा क्षेत्रीय निवासियों की अधिकता होती थी, बिचौलिये कम संख्या में बाजारों में आते थे। वर्तमान में बाजार में कस्बाई तथा शहरी क्षेत्र के आगंतुकों तथा बिचौलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिचौलिये अंदरूनी क्षेत्रों के बाजारों से कम कीमतों में क्रय कर बड़े या षहर के बाजारों में सामानों का विक्रय कर लाभ कमाते हैं।

4. नशे तथा मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन– पूर्व में आदिवासी बाजार हाट में देशी शराब तथा लांदा नशे के साधन के रूप में प्रचलित था किंतु वर्तमान में शराब, लांदा, छिंद व सल्फी वृक्ष का रस, विभिन्न प्रकार के गुटखे, गुड़ाखू आदि बाजार में विक्रय हेतु लाया

जाता है, जिसके नशे के लत में फंसकर आदिवासी तथा ग्रामीण युवक–युवतियॉ स्वास्थ्य तथा धन खराब कर रहे हैं।

इसी प्रकार आदिवासी बाजार हाट में मनोरंजन हेतु आयोजित मुर्गा लड़ाई का स्वरूप बदलता जा रहा है। मुर्गे की हार–जीत पर हजारों रूपये का दॉव लगाया जाता है, जिसके लेन देन में कई बार मारपीट तथा खून–खराबा होता है। आजकल आदिवासी बाजार हाट के मुर्गा बाजार के पास 'खुड़खुड़ी' नामक पांसो पर आधारित जुएं का खेल खिलाया जाता है, जिसमें भी हजारों रूपये का दॉव लगाया जाता है, जिसके जाल में फंसकर आदिवासी तथा ग्रामीण युवक धन गंवा देते हैं।

5. विनिमय के स्वरूप में परिवर्तन– आदिवासी बाजार हाट में पूर्व में वस्तु विनिमय की अधिकता थी किंतु वर्तमान में शिक्षा के विकास तथा जागरूकता के कारण वस्तु विनिमय अल्प प्रचलित है या समाप्त प्राय है। पूर्व में वस्तु विनिमय आदिवासी बाजार हाट में शोषण का सर्वप्रमुख साधन था। वर्तमान में होने वाला वस्तु विनिमय मूल्य आधारित विनिमय होता है। पूर्व में एक पैली (लगभग दो किलो) चिरौंजी या महुआ के बदले एक पैली नमक विनिमय किया जाता था, जो मूल्य के आधार पर असमान विनिमय है किंतु वर्तमान में यदि महुए का मूल्य 20 रूपये प्रति पैली तथा नमक का मूल्य 10 रूपये प्रति पैली है तो इसका विनिमय एक पैली महुआ के बदले दो पैली नमक होगा। वर्तमान में आदिवासी जन अपने वनोत्पाद के बदले रूपये प्राप्त कर इच्छानुसार वस्तुओं का क्रय करते हैं।

6. आदिवासी बाजार हाट सूचना तथा प्रचार–प्रसार का माध्यम– वर्तमान में बस्तर संभाग का बड़ा क्षेत्र हिंसा प्रभावित है, जिस कारण शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार, लाभ पहुचाने में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाजार हाट में शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जागरूकता, सूचना का प्रसार, स्वास्थ्य योजना के शिविर आदि लगाये जाते हैं। बाजार हाट में एक साथ अनेक ग्रामों के ग्रामीणों को मौसमी रोगों के दवाओं का वितरण, पोलियो अभियान का लाभ मिल जाता है। बाजार हाट के माध्यम से योजनाओं के प्रचार–प्रसार, लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से पहुचाया जाता है।

7. आदिवासी बाजार हाट के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन– पूर्व में बाजार हाट में शामिल होने वाले आदिम जन अल्प वस्त्रों में पेज, सूखी लौकी का तुमा, दोने पत्तल में

भोजन लेकर आते थे, सामान लाने–ले जाने के लिये टोकनी, कॉवड़ आदि का उपयोग करते थे किंतु वर्तमान में आय में वृद्धि, सांस्कृतिक संपर्क तथा जागरूकता के कारण आधुनिक रंगीन वस्त्र, टोपी, धूप चश्मा, प्लास्टिक की बोतल, थैला, जूट या प्लास्टिक के बोरे का उपयोग करने लगे हैं।

अध्याय – 8

निष्कर्ष, समस्याएँ एवं सुझाव

8.1. निष्कर्ष

आदिवासी बाजार हाट तथा वार्षिक मेले जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बस्तर क्षेत्र में लगने वाले आदिवासी बाजार हाट क्षेत्रवासियों के आर्थिक आवश्यकता, दैनिक उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख केन्द्र है। पूर्व में आदिवासी बाजार हाट में वनोपज तथा कृषि उत्पाद का क्रय विक्रय, वस्तु विनिमय तथा दैनिक मूलभूत आवश्यकता के वस्तुओं के विक्रय की प्रधानता थी किंतु वर्तमान में आदिवासी बाजार हाट में मुद्रा विनिमय, दैनिक मूलभूत वस्तुओं के साथ–साथ आधुनिक वस्तुएँ भी विक्रय होने लगा हैं। आधुनिकता, साक्षरता दर में वृद्धि, आर्थिक विकास, आवागमन के साधनों के विकास के कारण आदिवासी बाजार हाट के स्वरूप में बदलाव आया है।

आदिवासी बाजार हाट का अध्ययन बस्तर जिले के तोकापाल ग्राम में किया गया है। तोकापाल ग्राम का साप्ताहिक बाजार प्रति सोमवार को आयोजित होता है। तोकापाल का बाजार तोकापाल विकासखंड का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार है। तोकापाल का बाजार हाट में आस पास के लगभग पचास ग्रामों के ग्रामीण अपनी आवष्यकता पूर्ति हेतु निर्भर हैं।

वर्तमान में बस्तर संभाग के आदिवासी बाजार हाट पर नक्सली समस्या का गहन प्रभाव पड़ा है। आदिवासी बाजार हाट में नक्सलियों के लूट–पाट, हत्या, पुलिस जवानों के हथियारों की लूट, भय, वसूली, नक्सलियों द्वारा वनोपज तथा अन्य उत्पादों के क्रय–विक्रय की कीमत तय किये जाने के कारण बड़े व्यापारी बाजार हाट में व्यापार करना बंद कर चुके हैं या कम जाते हैं। दक्षिण बस्तर क्षेत्र के कई बड़े बाजार अपनी ख्याति तथा स्वरूप खो चुके हैं। नक्सली समस्या, ग्रामों में सामानों की उपलब्धता, आधुनिकता जैसी चुनौतियों के बाद भी बस्तर संभाग के आदिवासी बाजार हाट अपना अस्तित्व बनाये हुये हैं।

8.2. समस्यायें–

वर्तमान में बस्तर संभाग के आदिवासी बाजार हाट में व्याप्त समस्यायें निम्नांकित हैं–

1. बाजार क्षेत्र की भूमि में अतिक्रमण हुआ है। प्रारंभ में बाजार का स्वरूप छोटा था किन्तु बाजार भूमि विस्तारित थी किन्तु बाजार का विस्तार होने के साथ–साथ बाजार भूमि में अतिक्रमण हुआ है। बाजार क्षेत्र में शासकीय भवन का निर्माण हुआ है, जिससे बाजार भूमि के क्षेत्रफल में कमी हुई है।

2. बाजार का क्षेत्र छोटा होने के साथ साथ नियमित साफ सफाई का अभाव है। वर्षाकाल में अत्याधिक कीचड़ होने के कारण बाजार क्षेत्र में आने जाने में विक्रेताओं एवं क्रेताओं को अत्यंत परेशानी होती है।

3. वर्तमान में जनसंख्या में बढ़ते दबाव के कारण बाजार का क्षेत्र छोटा प्रतीत होता है। बाजार जाने के मार्ग में भी कई दुकानदार अपना सामान रोड़ तक फैला कर व्यापार करते हैं। जिससे आने जाने में कठिनाई होती है।

4. बाजार क्षेत्र तोकापाल से करंजी/पोटानार के मार्ग पर स्थित है सोमवार अर्थात् बाजार में दिन इस मार्ग पर आवागमन करने में समस्या होती है।

5. बाजार क्षेत्र अव्यस्थित है। बाजार क्षेत्र में रोड़ बनाये गये है वह अपर्याप्त है। जिसमें कुछ विक्रेता ही बैठते है। शेष भूमि पर बनाये गये प्लास्टिक के रोड के नीचे तथा कुछ भूमि पर खुले में बैठकर सामान,सब्जियों का विक्रय करते हैं। अस्थायी तथा अनियमित रूप से बाजार में सामान व सब्जी विक्रय करने वाले विक्रेता मार्ग के किनारे या बाजार क्षेत्र में कही भी बैठकर सामग्री विक्रय करते हैं। जिससे बाजार अव्यस्थित होता है।

6. बाजार में बिचौलिये स्त्री–पुरूषों (कोचिया/कोचनी) के कारण वास्तविक उत्पादकों को सामानों का उचित मूल्य प्राप्त नही हो पाता है ये बिचौलिये स्थानीय या जगदलपुर से आते है। बिचौलिये ग्रामीणों से कम कीमत में सामानों को क्रय कर लेते हैं तथा उसे तोकापाल बाजार या जगदलपुर में ऊँची कीमत में विक्रय कर लाभ कमाते है।

7. बाजार में मिलावटी, नकली या निम्न गुणवत्ता की अनेक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इन वस्तुओं में बिस्कुट सौन्दर्य प्रसाधन, खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोगी वस्तुएं आदि शामिल है। इन वस्तुओं की कीमतें कम होने के कारण ग्रामीणों द्वारा क्रय किया जाता है। जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है।

8. बाजार में सल्फी, छिंद रस, महुआ की शराब लांदा आदि मादक वस्तुएं बाजारों में बहुतायत से विक्रय किया जाता है। बाजारों में विक्रय हेतु लाये जाने वाले मादक पदार्थों में यूरिया आदि मिलाते है। जो जनस्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकारक है। इसी प्रकार शराब विक्रय क्षेत्र में पका हुआ मॉस मिला है खुले में रखा हुआ धुल के कारण हानिकारक है।

9. साप्ताहिक बाजार के साथ मुर्गा लड़ाई बाजार भी लगता है। जिसमें ग्रामीण मुर्गा लड़ाई के दौरान मुर्गे के हार जीत पर रूपये की शर्त लगाते हे। जिसमें वे राशि हार जाते है। इस प्रकार मुर्गा लड़ाई के साथ 'खुडखुडी' नामक जुँआ खेला जाता है। जिसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में दॉव लगाते है तथा मेहनत की कमाई हार जाते है

8.3. सुझाव–

बस्तर संभाग में आदिवासी बाजार हाट आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा इनमें पूर्वकाल की तुलना में परिवर्तन हुआ है किंतु आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान में भी इन बाजार हाट की प्रासंगिकता बनी हुई है। बस्तर क्षेत्र के बाजार हाट में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव निम्नांकित हैं–

1. बस्तर संभाग के कस्बे या बड़े गांवो के बाजारों में अतिक्रमण की समस्या है अतः बाजार क्षेत्र का सीमांकन कर सुरक्षित करना उचित होगा।

2. बस्तर संभाग के कस्बे या बड़े गांवो के अनेक बाजार मुख्य मार्ग में है जिससे आवागमन में समस्या होती है तथा दुर्घटना का भय होता है, अतः इन साप्ताहिक बाजारों का उचित स्थल में व्यवस्थापन एवं स्थानांतरण करना उचित होगा।

3. बाजारों में साफ–सफाई, षौचालय, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है जिससे बाजार में आने वाले क्रेता–विक्रेता को मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो सके।

4. साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाले कम गुणवत्ता के वस्तुओं तथा मिलावटी सामानों की निगरानी हेतु पंचायत स्तर पर गुणवत्ता जॉच दल बनाया जाना उचित होगा, जिससे समुदायिक स्वास्थ्य की रक्षा किया जा सके।

5. बस्तर संभाग में बाजारों में बिचौलिये स्त्री–पुरूषों (कोचिया/कोचनी) से वास्तविक संग्राहकों तथा उत्पादकों की सुरक्षा की योजना बनाया जाय जिससे वास्तविक संग्राहकों तथा उत्पादकों को उनकी वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

6. आदिवासी क्षेत्र के बाजारों में क्षेत्र के वनों में होने वाले वनोपज तथा कृषि उपज का मौसम आधारित सूचना बोर्ड तथा क्रय मूल्य अंकित करना उचित होगा जिससे ग्रामवासी शासन निर्धारित दरों में वनोपज तथा कृषि उपज का विक्रय कर सकेंगे व उनकी शोषण से सुरक्षा हो सकेगी।

7. बस्तर संभाग के अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, जिससे इन क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन करने में अनेक समस्या होती है। अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बाजारों को योजनाओं के प्रचार–प्रसार व सूचना केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

8. बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिये, जिससे बाजारों में घटने वाली नक्सली घटनाओं को रोका जा सके तथा व्यापारी एवं ग्रामीण की सुरक्षा सुनिष्चित हो सके।

9. आदिवासी क्षेत्र के बाजारों के साथ लगने वाले मुर्गा लड़ाई बाजार तथा नशीले पदार्थ के बाजार को रोकना या सीमित करना उचित होगा क्योंकि इनसे ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य तथा आर्थिक हानि होती है तथा यह अपराध व दुर्घटना रोकने में भी मदद मिलेगी।

10. आदिवासी क्षेत्र के बाजारों को स्थायी बाजार का स्वरूप दिया जाय। बाजार क्षेत्र में काम्प्लेक्स तथा दुकानों का निर्माण कर स्थानीय बेरोजगार को आबंटित कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा सकता है।